

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

एक साल की अवधि 2011-12 को अच्चादन करते हुए रिपोर्ट, केंद्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों, इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों एवं अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक खोज में लगे हुए अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के लेनदेन का अनुपालन लेखा परीक्षा से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल करता है।

इस रिपोर्ट में पर निम्नलिखित तीन लंबे पैराग्राफ सहित 12 ऑडिट पैरा शामिल हैं:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का एडुसैट उपयोगिता कार्यक्रम
- सेंटर फॉर जीनोमिक एप्लिकेशन की स्थापना के लिए जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान का सार्वजनिक निजी भागीदारी
- फरक्का बैराज एवं इसकी सहायकियों की देखरेख

इस रिपोर्ट में शामिल की गई टिप्पणियाँ 2012-13 के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा देखी गई थी. पूर्णता के लिए, पहले के वर्षों से संबंधित टिप्पणियाँ जो पिछले रिपोर्टों में शामिल नहीं थे जहां उचित, भी शामिल किया गया है. इसी तरह, जहाँ प्रासंगिक, मार्च 2013 के बाद के लेनदेन की लेखा परीक्षा के परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप किया गया है।

